अध्याय ।

सीमा शुल्क राजस्व

1.1. सीमा शुल्क की प्रकृति

1.1.1 भारत में माल के आयात पर और भारत से बाहर कतिपय माल के निर्यात पर (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की एंट्री 83) सीमा शुल्क उद्ग्रहित किया जाता है। सीमा शुल्क प्राप्तियां सरकार के अप्रत्यक्ष कर राजस्व का भाग होती हैं।

1.1.2 सीमा शुल्क, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उद्ग्रहित किया जाता हैं और शुल्क की दरें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के अंतर्गत नियंत्रित की जाती हैं।

1.2 सीमा शुल्क राजस्व आधार

1.2.1 महानिदेशालय विदेश व्यापार (डीजीएफटी) द्वारा आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) के साथ जारी किये गये आयातक और निर्यातक सीमा शुल्क राजस्व आधार में शामिल होते हैं। मार्च 2020 तक 3,06,011 सक्रिय आईईसी थे। वि.व. 20 के दौरान, 405 सीमा शुल्क पत्तन (203 ईडीआई, 44 गैर-ईडीआई, 2 मैन्यूल और 156 सेज पत्तनों) के माध्यम से ₹22.19 लाख करोड़ (1,37,43,809 संव्यवहारों) मूल्य के निर्यात और 437 सीमा शुल्क पत्तनों (183 ईडीआई, 29 गैर-ईडीआई, 2 मैनुअल और 223 सेज पत्तनों) के माध्यम से ₹33.61 लाख करोड़ के आयात (1,20,87,439 संव्यवहारों) किए गए।

1.3 प्रशासनिक विभागों का संगठन और कार्य

1.3.1 वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग (डीओआर), केंद्रीय राजस्व अधिनियम बोर्ड, 1963 के अंतर्गत गठित दो सांविधिक बोर्ड नामत: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघीय करों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी भारत सरकार का सर्वोच्च विभाग है।

1.3.2 पूरे देश में मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता वाले 20 जोनों के माध्यम से सीबीआईसी द्वारा सीमा शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण तथा सीमा-पर निवारक कार्य किये जाते हैं।

1.3.3 डीजीएफटी द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) के अधीन वाणिज्य विभाग (डीओसी) उस विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) को प्रतिपादित, कार्यान्वित और मॉनीटर करता है जो निर्यात और व्यापार बढ़ाने के लिए अनुपालन की जाने वाली नीति और कार्यनीति को आधारभूत प्रारूप प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, डीओसी को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंध, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (सेज), राज्य व्यापार, निर्यात प्रोत्साहन और व्यापार सरलीकरण और कतिपय निर्यात उन्मुख उद्योग और वस्तुओं के विकास और विनियमन के संबंध में उत्तरदायित्व भी सौंपे गये है।

1.3.4 एफटीपी जो डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) द्वारा लागू किया जाता है निर्यात संवर्धन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आईईसी प्रदान करने और लाइसेंस देने के लिए उत्तरदायी है। वि.व. 20 के दौरान, अक्टूबर 2019 तक पूरे भारत में 38 आरए थे; 14 आरए का विलय हुआ। मार्च 2020 तक 24[1] आरए अस्तित्व में थे।

1.4 सीमा शुल्क प्राप्तियां

1.4.1 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किये जाने से पहले, सीमा शुल्क प्राप्तियों में बीसीडी, अतिरिक्त शुल्क[2] और विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) शामिल होते थे। सभी आयात फरवरी 2018[3] से शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर के स्थान पर समाज कल्याण अधिप्रभार (एसडब्ल्यूएस) के अधीन भी होते हैं। इसके, अतिरिक्त एंटी-डंपिंग शुल्क, प्रतिकारी शुल्क (धारा 9) और सेफगार्ड शुल्क, जहां कहीं भी लागू है, वहां उद्ग्राह्य है।

---

[1] https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=dgft-organization.

[2] सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के तहत सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, स्थानीय कर तथा अन्य प्रभार के बराबर हैं जो सामान्यतः प्रतिकारी शुल्क के नाम से जाना जाता है, उदग्राह्य है।

[3] एसडब्ल्यूएस वित्त विधेयक (अधिनियम), 2018 के खंड 108 के तहत उदग्रहीत किए गए माल के आयात पर एक अतिरिक्त शुल्क है।

1.4.2 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के उपरांत, पैट्रोलियम उत्पादों और एल्कोहल को छोड़कर सभी वस्तुओं के आयात पर अतिरिक्त शुल्क और एसएडी को सम्मिलित कर दिया गया है और इसके स्थान पर आईजीएसटी लागू कर दिया गया है। आईजीएसटी लागू बीसीडी के अतिरिक्त है जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार उद्ग्रहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) उपकर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कतिपय ऐश्वर्यपूर्ण तथा निषेध माल पर भी उद्ग्राह्य होता है। एंटी-डंपिंग शुल्क और सेफ गार्ड शुल्क का उद्ग्रहण भी अपरिवर्तित रहा।

1.5 बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियां

1.5.1 संघ सरकार का राजस्व बजट सरकार के कर और गैर कर राजस्व का बजट अनुमान प्रदान करता है। बजट अनुमान के साथ वास्तविक प्राप्तियों की तुलना राजकोषीय प्रबंधन की गुणवत्ता की संकेतक है। वास्तविक प्राप्तियां या तो अप्रत्याशित घटनाओं या अवास्तविक अनुमानों के कारण अनुमानों से भिन्न हो सकती हैं।

1.5.2 वि.व. 16 से वि.व. 20 के दौरान बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियां नीचे **तालिका 1.1** में दी गई हैं।

तालिका 1.1: बजट और संशोधित अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां

वर्ष	बजट अनुमान ₹ करोड़ में	संशोधित अनुमान ₹ करोड़ में	वास्तविक प्राप्तियां ₹ करोड़ में	वास्तविक और बीई में अंतर	वास्तविक और बीई के बीच प्रतिशत भिन्नता	वास्तविक और आरई के बीच अंतर ₹ करोड़ में	वास्तविक और आरई के बीच प्रतिशत भिन्नता
वि.व.16	2,08,336	2,09,500	2,10,338	(+)2,002	(+)0.96	(+)838	(+)0.40
वि.व.17	2,30,000	2,17,000	2,25,370	(-)4,630	(-)2.01	(+)8,370	(+)3.86
वि.व.18	2,45,000	1,35,242	1,29,030	(-)1,15,970	(-)47.33	(-)6,212	(-)4.59
वि.व.19	1,12,500	1,30,038	1,17,813	(+) 5,313	(+)4.72	(-)12,225	(-)9.40
वि.व.20	1,55,904	1,25,000	1,09,283	(-)46,621	(-)29.90	(-)15,717	(-)12.57

स्रोत: संबंधित वर्ष हेतु संघीय बजट और वित्त लेखे।

1.5.3 वि.व. 16 से वि.व. 20 के दौरान आरई और वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता (-)12.57 *प्रतिशत* से 3.86 *प्रतिशत* के बीच थी। उक्त अवधि

के दौरान ही बीई और वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता (-)47.33 *प्रतिशत* से 4.72 *प्रतिशत* के दायरे में थी।

1.5.4 वि.व. 19 के दौरान, वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियां बीई से 4.72 *प्रतिशत* (₹5,313 करोड़ तक) अधिक थी, जबकि वि.व. 20 के दौरान बीई के मुकाबले वे (-)29.90 *प्रतिशत* (₹46,621 करोड़ तक) कम थी। वास्तविक प्राप्तियों और आरई के बीच वि.व. 18 में (-)4.59 *प्रतिशत* से वि.व. 20 में (-)12.57 *प्रतिशत* की भिन्नता में लगातार वृद्धि है।

वाणिज्य विभाग (डीओआर) ने कहा (मार्च 2021) कि एक वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न आर्थिक कारकों को आधार मानकर बीई और आरई निर्धारित किए गए थे और पूरे वर्ष के लिए इन कारकों का अंतिम परिणाम पहले पता नहीं था।

1.6 सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि

1.6.1 वि.व. 16 से वि.व. 20 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), सकल कर राजस्व प्राप्तियां (जीटीआर) और सकल अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों के संदर्भ में सीमा शुल्क प्राप्तियों की परस्पर वृद्धि को नीचे **तालिका 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	वर्ष दर वर्ष वृद्धि प्रतिशत	जीडीपी ₹ करोड़ में	जीडीपी के % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्ति	सकल कर राजस्व (जीटीआर) ₹ करोड़ में	सकल कर % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां	सकल अप्रत्यक्ष कर ₹ करोड़ में	अप्रत्यक्ष कर के % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां
वि.व.16	2,10,338	12	1,35,76,086	1.55	14,55,891	14.45	7,10,101	29.62
वि.व.17	2,25,370	7	1,51,83,709	1.48	17,15,968	13.13	8,62,151	26.14
वि.व.18	1,29,030	(-)43	1,67,73,145	0.76	19,19,183	6.72	9,16,445	14.07
वि.व.19	1,17,813	(-)09	1,90,10,164	0.62	19,68,456	5.99	8,43,177	13.97
वि.व.20	1,09,283	(-)07	2,03,51,013	0.54	20,10,059	5.44	8,59,122	12.72

स्रोत: संबंधित वर्ष हेतु वित्तीय लेखे

1.6.2 वि.व. 16 से वि.व. 17 तक वर्ष दर वर्ष (वाईओवाई) के आधार पर सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि दर 7 से 12 *प्रतिशत* के बीच थी, परंतु

विगत वर्ष के मुकाबले वि.व. 18 से वि.व. 20 में ऋणात्मक प्रवृत्ति दिखाई। सीमा शुल्क प्राप्तियों में वि.व. 18 से वि.व. 20 तक धीरे-धीरे कमी आई। यह आंशिक रूप से जीएसटी (जूलाई 2017) के शुरू होने के पश्चात हुआ जब, पैट्रोलियम उत्पादों और ऐल्कोहल के अलावा आयातों पर अतिरिक्त शुल्क और एसएडी सम्मिलित किए गए है और आईजीएसटी से प्रतिस्थापित किए गए हैं।

1.6.3 जीडीपी को सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता, विगत वर्ष वि.व. 19 में 0.62 *प्रतिशत* की तुलना में वि.व. 20 के दौरान 0.54 *प्रतिशत* थी। जीटीआर की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां वि.व. 19 में 5.99 *प्रतिशत* की तुलना में वि.व. 20 में 5.44 *प्रतिशत* तक घट गई थी। वि.व. 18 और वि.व. 20 के दौरान जीडीपी/जीटीआर की तुलना में सीमा शुल्क प्राप्तियों के *प्रतिशत* में आंशिक कमी आई, क्योंकि जीएसटी शुरू होने के पश्चात एक अलग लेखांकन शीर्ष के अधीन आईजीएसटी का संग्रहण था। डीओआर ने कहा कि वि.व. 20 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि में गिरावट इसलिए हुई क्योंकि खाद्य तेलों, बहुमूल्य धातुओं, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और खनिज ईंधनों के आयात में गिरावट आई थी, जिससे सीमा शुल्क संग्रह में गिरावट आई थी।

1.6.4 वि.व. 20 के दौरान, जीडीपी अनुपात के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियों का अनुपात एक *प्रतिशत* (0.54 *प्रतिशत*) से कम था जबकि जीटीआर की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 5.44 *प्रतिशत* थी। अप्रत्यक्ष कर की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां वि.व. 20 में 12.72 *प्रतिशत* थी।

1.7 भारत का आयात और निर्यात

1.7.1 वि.व. 16 से वि.व. 20 के दौरान भारत के आयात और निर्यात की वृद्धि की प्रवृति को **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: भारत का आयात और निर्यात

वर्ष	आयात ₹ करोड़ में	विगत वर्ष में वृद्धि % में	निर्यात ₹ करोड़ में	विगत वर्ष में वृद्धि % में	व्यापार असंतुलन ₹ करोड़ में
वि.व.16	24,90,298	(-) 9.00	17,16,378	(-) 9.49	(-)7,73,920
वि.व.17	25,77,422	3.49	18,52,340	7.92	(-)7,25,082
वि.व.18	30,01,033	16.44	19,56,515	5.62	(-)10,44,518
वि.व.19	35,94,675	19.78	23,07,726	17.95	(-)12,86,949
वि.व.20	33,60,954	(-)6.50	22,19,854	(-)3.81	(-)11,41,100

स्रोत: एक्सिम डेटा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

1.7.2 भारत का आयात वि.व. 19 में मूल्य ₹35.95 लाख करोड़ से घटकर वि.व. 20 के दौरान ₹33.60 लाख करोड़ तक हो गया और निर्यात भी वि.व. 19 में ₹23.07 लाख करोड़ से घटकर वि.व. 20 में ₹22.19 लाख करोड़ हो गया।

वि.व. 16 के दौरान (-)9 *प्रतिशत* की नकारात्मक वृद्धि के बाद वि.व. 17 से वि.व. 19 के दौरान आयातों की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर में वृद्धि हुई परन्तु वि.व. 20 के दौरान घट गई। निर्यात में वृद्धि दर भी वि.व. 16 में (-)9.5 *प्रतिशत* से बढ़कर वि.व. 19 में 17.95 *प्रतिशत* हो गई। वि.व. 19 की तुलना में वि.व. 20 में आयात की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर (-)6.50 *प्रतिशत* से गिरावट आई जबकि इसी वर्ष के दौरान निर्यात की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर (-)3.81 *प्रतिशत* तक घट गई।

1.7.3 शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों के साथ व्यापार

पिछले पांच वर्षों (वि.व. 16 से वि.व. 20) के दौरान भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार चीन, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, इराक, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और जर्मनी थे। इनमें से वि.व. 20 में 10 व्यापारिक भागीदारों में से छह (हांगकांग, सिंगापुर, इराक, यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका) में आयात की हिस्सेदारी वि.व. 16 की तुलना में बढ़ी; तीन भागीदारों (जर्मनी, इंडोनेशिया, कोरिया) के साथ यह वि.व. 16 में ही एक स्तर पर स्थिर था और एक देश (चीन) के संबंध में गिरावट आई। **चार्ट 1** में पिछले पांच वर्षों के दौरान शीर्ष व्यापारिक भागीदारों के आयात हिस्से को दर्शाया गया है।

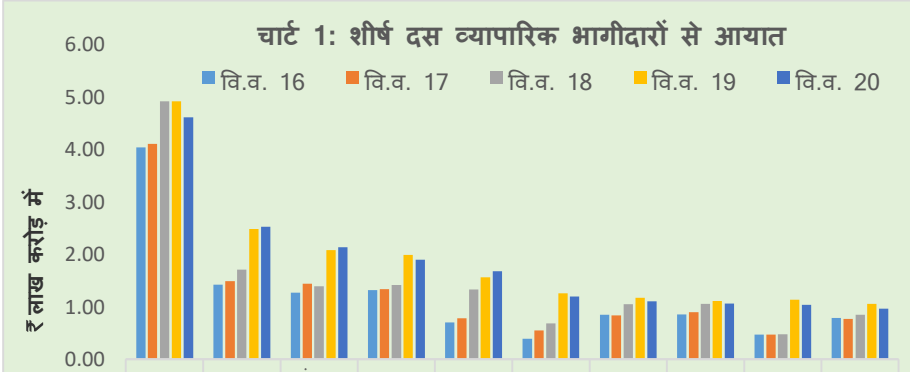

	चीन	अमेरीका	संयुक्त अरब अमीरात	सऊदी अरब	इराक	हॉगकॉग	कोरिया	इंडोनेशिया	सिंगापुर	जर्मनी:
वि.व. 16	4.04	1.43	1.27	1.33	0.71	0.40	0.85	0.86	0.48	0.79
वि.व. 17	4.11	1.50	1.44	1.34	0.79	0.55	0.84	0.90	0.48	0.78
वि.व. 18	4.92	1.72	1.40	1.42	1.33	0.69	1.05	1.06	0.48	0.86
वि.व. 19	4.92	2.49	2.09	1.99	1.57	1.26	1.17	1.11	1.14	1.06
वि.व. 20	4.62	2.53	2.14	1.90	1.68	1.20	1.11	1.07	1.04	0.97

वि.व. 18 की तुलना में वि.व. 20 और वि.व. 19 की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के संदर्भ में, तीन भागीदारों (चीन, कोरिया, इंडोनेशिया) से आयात में गिरावट आई थी, छह भागीदारों (संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक, हांगकांग और सिंगापुर) के संबंध में वृद्धि हुई थी, जबकि यह एक देश (जर्मनी) के साथ एक ही स्तर पर रहा।

इनमें से, दो देशों (इराक और चीन) में वि.व. 16 में निर्यात की तुलना में वि.व. 20 में निर्यात दोगुना हो गया, पांच भागीदारों (अमेरिका, जर्मनी, कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया) के साथ महत्वपूर्ण निर्यात वृद्धि हुई, दो भागीदारों (यूएई, सऊदी अरब) के साथ मामूली वृद्धि और एक भागीदार (हांगकांग) के साथ निर्यात में गिरावट आई है। शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों को निर्यात **चार्ट 2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2: शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों को निर्यात

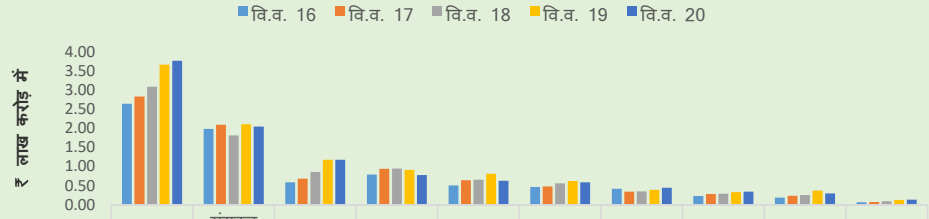

	अमेरीका	संयुक्त अरब अमीरात	चीन	हॉगकॉग	सिंगापुर	जर्मनी:	सऊदी अरब	कोरिया	इंडोनेशिया	इराक
वि.व. 16	2.64	1.98	0.59	0.79	0.51	0.46	0.42	0.23	0.18	0.07
वि.व. 17	2.83	2.09	0.68	0.94	0.64	0.48	0.34	0.28	0.23	0.07
वि.व. 18	3.09	1.81	0.86	0.95	0.66	0.56	0.35	0.29	0.26	0.09
वि.व. 19	3.66	2.10	1.17	0.91	0.81	0.62	0.39	0.33	0.37	0.13
वि.व. 20	3.76	2.04	1.18	0.78	0.63	0.59	0.44	0.34	0.29	0.13

वि.व. 20 के दौरान भारत का अपने शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों के साथ व्यापार असंतुलन कुल व्यापार असंतुलन का 71 *प्रतिशत* {(-)8,08,098 करोड़} था। वि.व. 20 के दौरान शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों से आयात और निर्यात का विवरण **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.4: भारत के शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदार

	वि.व. 20	मूल्य:	₹ करोड़ में	
रैंक	देश	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन
1	अमेरीका	3,76,166	2,53,363	1,22,803
2	चीन	1,17,673	4,61,525	-3,43,852
3	संयुक्त अरब अमीरात	2,04,238	2,14,447	-10,209
4	सऊदी अरब	44,267	1,90,245	-1,45,978
5	हॉगकॉग	77,752	1,19,999	-42,247
6	इराक	13,287	1,68,354	-1,55,067
7	सिंगापुर	63,027	1,04,394	-41,367
8	जर्मनी	58,723	96,928	-38,205
9	कोरिया आरपी	34,338	1,10,883	-76,545
10	इंडोनेशिया	29,299	1,06,727	-77,428
	शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों का कुल	***10,18,769***	***18,26,867***	***-8,08,098***
	भारत का कुल योग	**22,19,854**	**33,60,954**	**-11,41,100**
	शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों का % हिस्सा	*45.89*	*54.36*	*70.82*

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों में से, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका (वि.व. 20 में ₹1,22,803 करोड़) के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापार अधिशेष चलाया, जबकि अपने अन्य सभी प्रमुख भागीदारों के साथ व्यापार घाटा चलाया, जिसमे से चीन के साथ सबसे अधिक व्यापार घाटा (वि.व. 20 में ₹3,43,852 करोड़) हुआ है।

वि.व. 19 और 20 के दौरान शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों से आयात इस अवधि के दौरान किए गए कुल आयात का लगभग आधा हिस्सा था (**तालिका 1.5**)। वि व. 19 के दौरान किए गए आयात की तुलना में वि.व. 20 के दौरान दस प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में से छह में आयात में गिरावट आई थी। वि.व. 20 के दौरान चीन से आयात में (-)6.21 *प्रतिशत* की गिरावट आई थी। इसी अवधि के दौरान, दस में से तीन प्रमुख व्यापारिक भागीदारों से आयात बढ़ा था।

तालिका 1.5: वि.व. 19 की तुलना में वि.व. 20 में शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों से आयात में वर्ष दर वर्ष वृद्धि

क्र.सं.	देश	वि.व. 19 (₹ करोड़ में)	वि.व. 19 के कुल आयात का % हिस्सा	वि.व. 20 (₹ करोड़ में)	वि.व. 20 में कुल आयात का % हिस्सा	वि.व. 19 से 20 में वृद्धि %
1	चीन	4,92,079	13.69	4,61,525	13.73	-6.21
2	अमेरीका	2,48,554	6.91	2,53,363	7.54	1.93
3	युएई	2,08,551	5.80	2,14,447	6.38	2.83
4	सऊदी अरब	1,99,395	5.55	1,90,245	5.66	-4.59
5	इराक	1,56,601	4.36	1,68,354	5.01	7.51
6	हॉगकॉग	1,25,972	3.50	1,19,999	3.57	-4.74
7	कोरिया	1,17,255	3.26	1,10,883	3.30	-5.43
8	इंडोनेशिया	1,11,149	3.09	1,06,727	3.18	-3.98
9	सिंगापुर	1,13,919	3.17	1,04,394	3.11	-8.36
10	जर्मनी	1,06,131	2.95	96,928	2.88	-8.67
	उप योग	18,79,606		18,26,865		
	प्रतिशतता		52.29		54.36	
	कुल योग	**35,94,675**	**100.00**	**33,60,954**	**100.00**	**-6.50**

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

1.8 वि.व. 20 के दौरान आयात और निर्यात में शीर्ष पांच वस्तु समूहों का हिस्सा

1.8.1 वि.व. 20 में प्रमुख आयात पांच वस्तु समूहों द्वारा किया गया था, नामत:

(i) खनिज ईंधन, खनिज तेल और उत्पाद (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 27)

(ii) प्राकृतिक या कृत्रिम मोती, कीमती या अर्द्ध कीमती पत्थर, सोना और वस्तुए (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 71)

(iii) इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण और पुर्जे (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 85)

(iv) मशीनरी और उपकरणों और पुर्जे (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 84) और

(v) जैविक रसायन (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 29)

पिछले 5 वर्षों (वि.व. 16 से वि.व. 20) के दौरान वि.व. 20 को छोड़कर आयातित इन शीर्ष पांच वस्तु समूहों के संबंध में हर वर्ष लगातार वृद्धि हुई। वि.व. 16 की तुलना में वि.व. 20 के दौरान आयात में वृद्धि 4.24 *प्रतिशत* (अध्याय 71) से 72.23 *प्रतिशत* (अध्याय 27) की रेंज में थी **(तालिका 1.6)**।

तालिका 1.6: शीर्ष पांच आयातित वस्तु समूह

क्र. सं.	आयात वस्तु समूह	वि.व. 16 (₹ करोड़ में)	वि.व. 17 (₹ करोड़ में)	वि.व. 18 (₹ करोड़ में)	वि.व. 19 (₹ करोड़ में)	वि.व. 20 (₹ करोड़ में)	वि.व.16 की तुलना में वि.व. 20 (% वृद्धि)
1	अध्याय 27	6,32,022	6,91,912	8,52,697	11,74,715	10,88,559	72.23
2	अध्याय 71	3,69,481	3,60,262	4,81,705	4,51,505	3,85,140	4.24
3	अध्याय 85	2,35,587	2,58,697	3,11,103	3,64,152	3,48,091	47.75
4	अध्याय 84	2,15,429	2,15,230	2,43,816	3,06,368	3,07,067	42.54
5	अध्याय 29	1,01,986	1,03,798	1,23,761	1,56,552	1,40,205	37.47
	उप योग	15,54,505	16,29,899	20,13,082	24,53,292	22,69,062	
	शीर्ष पांच कमोडिटी समूहों का % हिस्सा	62	63	67	68	67	
	कुल योग	**24,90,306**	**25,77,675**	**30,01,033**	**35,94,675**	**33,60,954**	

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वि.व. 20 के दौरान आयातित शीर्ष पांच वस्तु समूहों का हिस्सा 67 *प्रतिशत* था जैसा कि नीचे **चार्ट 3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3: वि.व. 20 के दौरान आयातित शीर्ष पांच कमोडिटी समूह

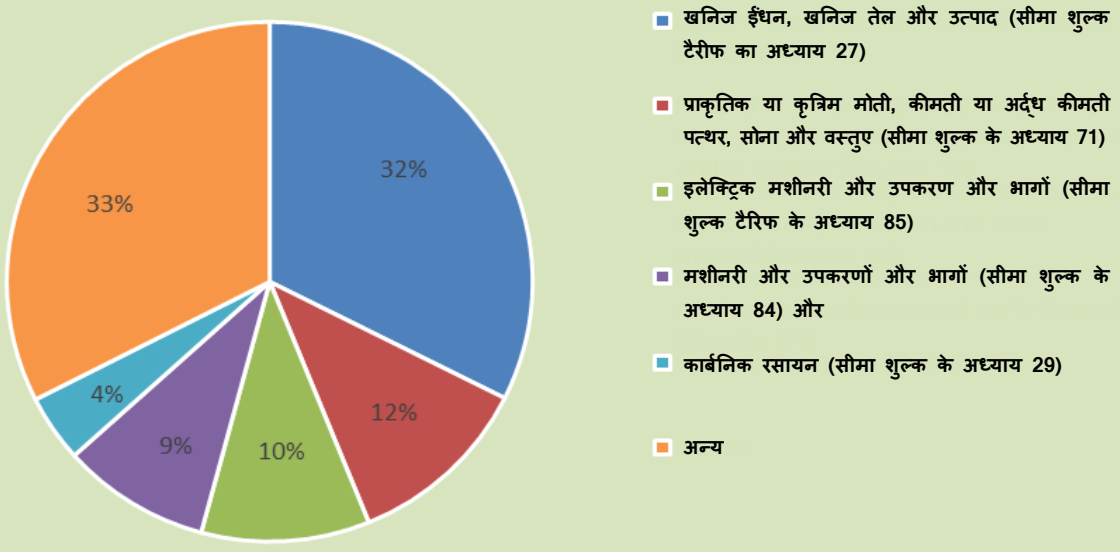

1.8.2 वि.व. 20 के दौरान निर्यात किए गए शीर्ष पांच वस्तु समूह थे:

(i) खनिज ईंधन, खनिज तेल और उत्पाद (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 27)

(ii) प्राकृतिक या कृत्रिम मोती, कीमती या अर्द्ध कीमती पत्थर, सोना और वस्तुए (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 71)

(iii) परमाणु रिएक्टरों, मशीनरी और यांत्रिक उपकरणों और उसके कुछ भाग (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 84)

(iv) जैविक रसायन (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 29) और

(v) वाहन और उसके सहायक उपकरण व भाग अपने-अपने क्रम में (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 87)।

निर्यात किए गए सभी प्रमुख वस्तु समूहों ने वि.व. 16 से वि.व. 20 के दौरान हर वर्ष लगातार वृद्धि का प्रदर्शन किया है वि.व. 20 को छोडकर, जब इन वस्तुओं के निर्यात में पिछले वर्ष **(तालिका 1.7)** की तुलना में कमी आई है।

तालिका 1.7: शीर्ष पांच निर्यात वस्तु समूह

क्र. सं.	निर्यात वस्तु समूह	वि.व. 16 (₹ करोड़ में)	वि.व. 17 (₹ करोड़ में)	वि.व. 18 (₹ करोड़ में)	वि.व. 19 (₹ करोड़ में)	वि.व. 20 (₹ करोड़ में)
1	अध्याय 27	2,03,885	2,17,477	2,47,904	3,35,474	3,02,367
2	अध्याय 71	2,59,183	2,92,314	2,69,116	2,82,794	2,55,441
3	अध्याय 84	88,511	94,517	1,15,187	1,46,652	1,47,661
4	अध्याय 29	75,295	78,386	95,381	1,27,567	1,23,867
5	अध्याय 87	94,040	1,00,238	1,11,229	1,26,533	1,18,403
	उप योग	**7,18,688**	**7,82,932**	**8,38,817**	**10,19,020**	**9,47,739**
	शीर्ष पांच वस्तु समूहों का % हिस्सा	42	42	43	44	44
	अन्य	9,95,470	10,66,502	11,17,698	12,88,706	12,72,115
	कुल निर्यात	**17,16,384**	**18,49,434**	**19,56,515**	**23,07,726**	**22,19,854**

स्रोत: एक्जिम डेटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वि.व. 16 की तुलना में वि.व. 20 में वस्तुओं के निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि क्रमानुसार अध्याय 84, 29, 27 और 87 के तहत थी, जिसमें अध्याय 71 के तहत वस्तुओं को छोड़कर, जिसने वि.व. 16 में किए गए निर्यात की तुलना में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। **चार्ट 4** वि.व. 16 से वि.व. 20 के दौरान निर्यात किए गए शीर्ष पांच वस्तु समूहों की वृद्धि का वर्णन करता है।

वि.व. 20 के दौरान निर्यात में शीर्ष पांच वस्तु समूहों का हिस्सा 44 *प्रतिशत* था जैसा कि **चार्ट 4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4: वि.व. 20 के दौरान निर्यात किए गए शीर्ष पांच वस्तु समूह

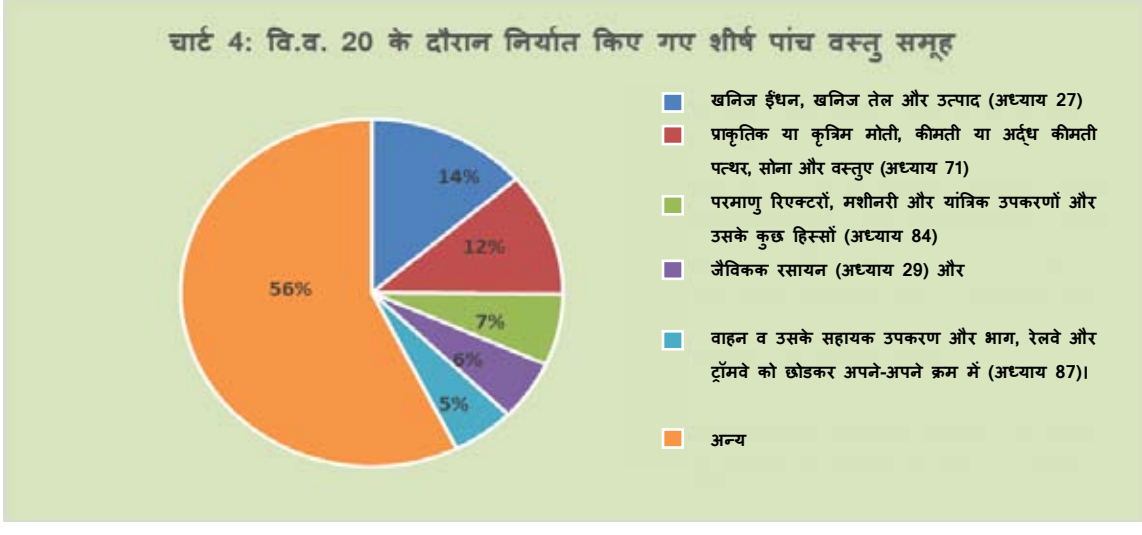

1.9 विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निष्पादन

1.9.1 सेज़ नियमों द्वारा समर्थित सेज़ अधिनियम, 2005, प्रक्रियाओं के सरलीकरण और केंद्र व राज्य सरकारों से संबंधित मामलों पर सिंगल विंड़ो क्लीरेंस प्रदान करने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2006 को लागू हुआ था। सेज़ अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं:

- अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन
- माल और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना
- घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना
- रोजगार के अवसरों का सृजन
- बुनियादी सुविधाओं का विकास

जबकि 421 सेज़ को औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई थी, 1 अप्रैल 2020 तक केवल 354 को अधिसूचित किया गया था, जिनमें से केवल 248 सेज़ परिचालित थे **(अनुबंध 1)।**

1.9.2 वि.व. 16 से वि.व. 20 तक की अवधि के लिए सेज़ निष्पादन के तीन मानदंडों (i) निर्यात निष्पादन, (ii) निवेश और (iii) रोजगार नीचे **तालिका 1.8** में दिए गए हैं।

तालिका 1.8: सेज़ का निष्पादन

	वि.व. 16	वि.व. 17	वि.व. 18	वि.व. 19	वि.व. 20
निर्यात निष्पादन (₹ करोड़ में)	4,67,337	5,23,637 (12%)*	5,81,033 (11%)*	7,01,179 (21%)*	7,96,669 (14%)
निवेश (₹ करोड़ में)	3,76,494	4,33,142 (15%)	4,92,312 (14%)	5,07,644 (3%)	5,71,735 (13%)
रोजगार (व्यक्ति में)	15,91,381	17,78,851 (12%)	19,96,610 (12%)	20,61,055 (3%)	22,38,305 (8%)

स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय *कोष्ठक में आंकड़े वर्ष दर वर्ष वृद्धि के संकेतक हैं

वि.व. 20 में सेज़ से ₹7.96 लाख करोड़ का निर्यात किया गया जिसमें वि.व. 16 में किए गए निर्यात की तुलना में 70 *प्रतिशत* (₹3,29,332 करोड़) की समग्र वृद्धि हुई थी। निर्यात में वर्ष दर वर्ष वृद्धि पिछले वर्षों **(तालिका 1.8 और अनुबंध 1)** की तुलना में वि.व. 16 में एक *प्रतिशत* से बढ़कर वि.व. 20 में 14 *प्रतिशत* हो गई थी। वि.व. 19 (21 *प्रतिशत*) की तुलना में वि.व. 20 में निर्यात वृद्धि घटकर 14 *प्रतिशत* हो गई।

1.9.3 वि.व. 20 के दौरान सेज़ में कुल ₹5.71 लाख करोड़ का निवेश किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 22.38 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन हुआ। वि.व. 16 में किए गए ₹3.77 लाख करोड़ के निवेश की तुलना में वि.व. 20 में संचयी निवेश में 52 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसी अवधि के दौरान सृजित रोजगार में 41 *प्रतिशत* **(तालिका 1.8 और अनुबंध 1)** की वृद्धि दर्ज की गई थी।

1.10 वि.व. 16 से वि.व. 20 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत

1.10.1 संग्रहण की लागत सीमा शुल्कों के संग्रहण पर होने वाली लागत है और इसमें आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्यों, निवारक कार्यों, आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण और अन्य व्यय शामिल हैं।

1.10.2 वि.व. 20 के लिए सीमा शुल्क प्राप्तियों[4] के संग्रहण की लागत सीमा शुल्क प्राप्तियों का 4.24 *प्रतिशत* थी। वि.व. 16 से वि.व. 20 तक की अवधि के लिए सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रह की लागत **तालिका 1.9** में दी गई है।

तालिका 1.9: वि.व. 16 से वि.व. 20 के दौरान संग्रहण की लागत

वर्ष	राजस्व सह आयात/निर्यात और व्यापार नियंत्रण कार्यों पर व्यय	निवारक और अन्य कार्यों पर व्यय	आरक्षित निधि, जमा लेखा में अंतरण और अन्य व्यय	कुल व्यय	सीमा शुल्क प्राप्तियां	सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में संग्रहण की लागत
	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	
1	2	3	4	5	6	7
वि.व. 16	412	2,351	36	2,799	2,10,338	1.33
वि.व. 17	544	2,771	7	3,322	2,25,370	1.47
वि.व. 18	640	3,262	39	3,941	1,29,030	3.05
वि.व. 19	743	3,667	9	4,419	1,17,813	3.75
वि.व. 20	753	3,871	0	4,634	1,09,283	4.24

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए केंद्र सरकार के वित्त लेखा

[4] नोट- इसमें डीजीएफटी के माध्यम से एफटीपी तैयार करने, लागू करने और उसकी मानिटरिंग में किया गया व्यय शामिल नहीं है, जो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

1.10.3 सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त, संग्रहण की लागत 1.33 *प्रतिशत* (वि.व. 16) से 3.75 *प्रतिशत* (वि.व. 19) के बीच थी। संग्रहण की लागत वि.व. 19 (3.75 *प्रतिशत*) की तुलना में वि.व. 20 में बढ़कर 4.24 *प्रतिशत* हो गई। जीएसटी के लागू करने पर, आयात और निर्यात पर आईजीएसटी सीमा शुल्क विभाग द्वारा उदग्रहित और एकत्रित किया जाता है लेकिन आईजीएसटी प्राप्तियां जीएसटी लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज की जाती हैं।

1.11 सीमा शुल्क का बकाया

1.11.1 बकाया की वसूली क्षेत्राधिकारिक आयुक्तों की समग्र जिम्मेदारी होती है। उन्हें आयुक्तालयों के अंतर्गत कार्यरत रिकवरी सेल के कार्यों की समीक्षा और निगरानी करनी होती है। वित्त मंत्रालय के दिनांक 15 दिसम्बर 1997 के परिपत्र के अनुसार, सरकारी बकाया की वसूली करने के लिए प्रत्येक सीमा शुल्क आयुक्तालय में एक "रिकवरी सेल (आरसी)" बनाया जाना चाहिए। हर आयुक्तालय के लिए हर वर्ष वसूली लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है।

1.11.2 सीमा शुल्क का बकाया ऐसे शुल्क हैं जिनकी विभाग द्वारा मांग की गई है लेकिन अधिनिर्णयन, विवादित दावों और अनंतिम निर्धारण के लम्बन जैसे विभिन्न कारणों से वसूली नहीं की गई है। 31 मार्च 2020 तक सीमा शुल्क बकाया ₹45,052 करोड़ था। वि.व. 16 से वि.व. 20 के लिए सीमा शुल्क राजस्व बकाया **तालिका 1.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10: सीमा शुल्क का बकाया

वर्ष	विवादित सीमा शुल्क का बकाया ₹ करोड़ में	विवाद रहित सीमा शुल्क का बकाया ₹ करोड़ में	कुल बकाया ₹ करोड़ में	कुल बकाया के प्रति विवादित बकाया की प्रतिशतता	कुल बकाया के प्रति विवाद रहित बकाया की प्रतिशतता
वि.व. 16	12,300	12,322	24,622	49.95	50.04
वि.व. 17	21,780	4,700	26,480	82.25	17.75
वि.व. 18	18,836	5,849	24,685	76.31	23.69
वि.व. 19	27,972	7,855	35,827	78.08	21.92
वि.व. 20	36,951	8,101	45,052	82.02	17.98

स्रोत: डीजी निष्पादन प्रबंधन (टीएआर), सीमा शुल्क, वस्तु और सेवाकर पत्र दिनांक 10 फरवरी 2021

1.11.3 वि.व. 18 को छोड़कर वि.व. 16 से वि.व. 20 के दौरान सीमा शुल्क का बकाया लगातार बढ़ा है। मार्च 2020 (₹45,052 करोड़) को लंबित सीमा शुल्क राजस्व के कुल बकायों में मार्च 2019 (₹35,827 करोड़) को लम्बित बकायों की तुलना में 25.75 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई थी। वि.व. 16 (₹24,622) की तुलना में वि.व. 20 (₹45,052 करोड़) में सीमा शुल्क के समग्र बकायों में 83 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई है।

1.11.4 कुल बकाया राशि के प्रति अनुपात में विवादित बकाया राशि वि.व. 16 में 50 *प्रतिशत* से बढ़कर वि.व. 20 में 82 *प्रतिशत* हुई और जो ₹36,951 करोड़ हैं। तदनुरूप, विवाद रहित बकायों के *प्रतिशत* में कुल बकायों से वि. व. 16 में 50 *प्रतिशत* से वि.व 20 में 18 *प्रतिशत* तक गिरावट आई।

1.11.5 वि. व. 16 से वि. व. 20 के दौरान सीमा शुल्क बकायों की वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों का विवरण **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.11: वित्त वर्ष 16 से वित्त वर्ष 20 के दौरान सीमा शुल्क बकाया राशि की वसूली का लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किया गया

वर्ष	बकाया लक्ष्य (₹ करोड़ में)	लक्ष्य प्राप्ति (₹ करोड़ में)	लक्ष्य की कमी (₹ करोड़ में)	अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्ति (₹ करोड़ में)	कमी का प्रतिशत	अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत
वि.व.16	2,500	825	(-)1,675	-	(-)66.99	-
वि.व.17	1,000	1,284	-	284	-	28.44
वि.व.18	1,000	1,092	-	92	-	9.25
वि.व.19	4,315	2,159	(-)2,156	-	(-)49.97	-
वि.व.20	4,044	1,952	(-)2,092	-	(-)51.73	-

स्रोत: डीजी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट (टीएआर), सीमा शुल्क, वस्तु और सेवा कर पत्र दिनांक 10 फरवरी 2021
नोट: कुल/उप-कुल को पूर्णांकित करने के कारण थोड़ा कम या अधिक हो सकता है।

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, वि.व. 16 से वि.व. 20 की अवधि के दौरान बकाया वसूली के लक्ष्य में उतार-चढ़ाव हुआ। इसके अलावा सीबीआईसी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को विभाग द्वारा प्राप्त नहीं किया जा रहा था। वि.व. 20 में लक्ष्य प्राप्ति में कमी (-)51.73 *प्रतिशत* थी। वि.व. 18 और वि.व. 17 को छोड़कर जब उपलब्धि निर्धारित लक्ष्यों से अधिक थी,

पिछले दो वर्षों (वि.व. 19 और वि.व. 20) के बाद से सीमा शुल्क बकाया वसूलने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगातार कमी थी।

1.11.6 वि.व. 20 के दौरान कुल 20 जोन (11 सीमा शुल्क आयुक्तालयों और 9 संयुक्त आयुक्तालयों (सीमा शुल्क और जीएसटी) में से 10 जोनों में लम्बित बकाया कुल बकायों (₹45,052 करोड़) का 85.68 *प्रतिशत* (₹38,600 करोड़) बनता था, जैसा कि नीचे **तालिका 1.12** में दिखाया गया है।

तालिका 1.12: 31 मार्च 2020 तक सीमा शुल्क राजस्व का जोन वार बकाया

क्र. सं.	मुख्य आयुक्त जोन	विवाद के तहत राशि	राशि विवाद रहित	31.03.2020 को लंबित राशि
		₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
1	मुंबई - II सीमा शुल्क	11,371	663	12,034
2	अहमदाबाद सीमा शुल्क	4,614	741	5,355
3	बेंगलुरू सीमा शुल्क	4,484	155	4,639
4	दिल्ली सीमा शुल्क	2,473	1,803	4,276
5	मुंबई - III सीमा शुल्क	2,266	267	2,533
6	चेन्नई सीमा शुल्क	1,825	464	2,289
7	भोपाल सीई एवं जीएसटी	1,143	1,021	2,164
8	मुंबई - I सीमा शुल्क	1,629	301	1,930
9	भुवनेश्वर सीई एवं जीएसटी	1,907	1	1,908
10	कोलकाता सीमा शुल्क	1,145	329	1,474
	उप कुल	**32,857**	**5,743**	**38,600**
11	**अन्य**	**4,094**	**2,357**	**6,451**
	कुल योग	**36,951**	**8,101**	**45,052**

स्रोत: डीजी निष्पादन प्रबंधन (टीएआर), सीमा शुल्क, वस्तु और सेवाकर पत्र दिनांक 10 फरवरी 2021

1.11.7 वित्त वर्ष 16 से वित्त वर्ष 20 तक सीमा शुल्क राजस्व का आयुवार बकाया **तालिका 1.13** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: वि.व. 16 से वि.व. 20 तक सीमा शुल्क राजस्व का आयुवार बकाया

वर्ष	विवाद के अंतर्गत राशि (₹ करोड़ में)				राशि विवाद के अंतर्गत नहीं (₹ करोड़ में)				महायोग (कॉलम 5+9)
	5 वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन < 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	कुल (कॉलम 2+3+4)	5 वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन < 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	कुल (कॉलम 6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वि.व.16	8,681	2,494	1,125	**12,300**	5,162	4,714	2,446	**12,322**	**24,622**
वि.व.17	17,919	2,716	1,145	**21,780**	2,538	1,245	917	**4,700**	**26,480**
वि.व.18	15,554	2,279	1,005	**18,836**	3,931	980	938	**5,849**	**24,685**
वि.व.19	24,670	2,373	929	**27,972**	5,361	831	1,663	**7,855**	**35,827**
वि.व.20	29,226	6,128	1,597	**36,951**	6,243	864	994	**8,101**	**4,5052**

स्रोत: डीजी निष्पादन प्रबंधन (टीएआर), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद और सेवा शुल्क

वि.व. 20 विवाद रहित बकाया राशि के वर्षवार विश्लेषण से पता चला कि कुल ₹8,101 करोड़ में से ₹1,858 करोड़ (23 *प्रतिशत*) की पांच साल से अधिक समय तक वसूली नहीं की गई थी। जिसमें से ₹994 करोड़ की राशि दस वर्षों से अधिक समय से वसूली के लिए लंबित थी।

1.12 आंतरिक लेखापरीक्षा

1.12.1 सीबीआईसी और उसकी क्षेत्रीय संरचनाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा में महानिदेशक लेखापरीक्षा {डीजी (लेखापरीक्षा)} द्वारा की गई तकनीकी लेखापरीक्षा और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीआरसीसीए) द्वारा किए गए भुगतान और लेखाओं की लेखापरीक्षा शामिल है। महानिदेशक (लेखापरीक्षा) का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जिसके अध्यक्ष महानिदेशक (लेखापरीक्षा) होते है उनके अधीन अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में सात जोनल इकाइयां आती हैं जिसमें प्रत्येक का अध्यक्ष अतिरिक्त महानिदेशक हैं। डीजीए की हर जोनल इकाई का उनके अधीन मुख्य आयुक्त और आयुक्तालय की जोनल इकाइयों पर क्षेत्रवार क्षेत्राधिकार का नियंत्रण होता है।

1.12.2 वि.व. 20 के लिए महानिदेशक (लेखापरीक्षा) द्वारा नियोजित और संचालित तकनीकी आंतरिक लेखापरीक्षा का ब्यौरा सीबीआईसी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

1.12.3 प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक सीबीआईसी और इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं के भुगतान और लेखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा करता है।

2019-20 के दौरान प्र. सीसीए द्वारा की गयी लेखापरीक्षा टिप्पणियों की सीबीआईसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2020 तक ₹18,067 करोड़[5] की 119 अभ्युक्तियां लंबित थीं। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित अनियमितताएं शामिल थीं:

क) सरकारी विभाग/राज्य सरकार के निकायों/प्राइवेट पार्टियों/स्वायत्त निकायों से वसूल नहीं किए गए देय; ₹7,605 करोड़;

ख) सरकारी धन का अवरोधन: ₹5,281 करोड़;

ग) अन्य अनियमितताएं: ₹5,181 करोड़।

31 मार्च 2020 तक लंबित आंतरिक टिप्पणियों में शामिल राशि (₹18,067 करोड़ रुपये) ने 31 मार्च 2019 (₹9,040 करोड़) तक लंबित मामलों को लेकर बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई थी।

1.13 कर अपवंचन और जब्ती

1.13.1 राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शुल्क अपवंचन के मामलों की संख्या वि.व. 16 में 631 से बढ़कर वि.व. 20 में 761 हो गई जबकि उसी अवधि के दौरान मूल्य ₹2,926 करोड़ से घटकर ₹2,183 करोड़ हो गया **(अनुबंध 2)**। तथापि, वि.व. 20 के दौरान पता लगाए गए मामलों में की गई वसूली का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

1.13.2 डीआरआई, नई दिल्ली के अनुसार, वि.व. 20 के दौरान निर्दिष्ट मुख्य वस्तुओं के मूल्य द्वारा जब्तियों के प्रोफाइल के अनुसार शामिल मुख्य वस्तुएं मादक पदार्थ, सोना, विदेशी मुद्रा, वाहन/पोत्त और इलेक्ट्रॉनिक मदें (कंप्यूटर पार्ट्स सहित) शामिल हैं।

[5] प्र. सीसीए सं. आईए/एनजेड/मुख्यालय/सीएजी/सूचना/2020-21/491 दिनांक 25 फरवरी 2021